संख्या- 20/2019/291/59-2-2019-9(खा)/2017

प्रेषक,

सुरेश चन्द्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 05 अप्रैल, 2019

विषय:- खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को वित्तीय वर्ष 2019-20 में बोर्ड कार्मिकों के वेतन भत्ते आदि मद हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-17/खा0ग्रा0बो0/लेखा-बजट/2019-20 दिनांक 04 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, अधिनियम 1960 (यथा संशोधित) 1983 की धारा-23 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कार्मिकों के वेतन भत्ते आदि के खर्चो को वहन करने हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 4690.40 लाख (रूपये छियालिस करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न फॉट के अनुसार अनुदान के रूप में दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि समय-समय पर निर्गत शासनादेशों तथा वित्तीय नियमों के अधीन व्यय की जायेगी। धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न कर मासिक आवश्यकता के अनुसार संलग्न फॅाट के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जायेगा। प्रति माह व्यय की गई धनराशि का व्यय-विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में दो प्रतियों में शासन के खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 तथा सचिव, वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा इस शासनादेश के साथ संलग्न मानक मदों के अनुरूप किया जायेगा। बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वेतन मद में आवंटित धनराशि का उपयोग मात्र नियमित कार्मिकों के वेतन भुगतान में ही किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय नियम संग्रह-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अनुसार निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं अन्य को अवश्यमेव उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद व मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्ट्रोलर एण्ड आडीटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिये भी उपलब्ध रहेगा।

6- आहरण- वितरण अधिकारी प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरतने विषयक शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

7- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुदान संख्या-5 के लेखाशीर्ष "2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-105-खादी ग्रामोद्योग-03-खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रदत्त निर्देश के क्रम में जारी किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

संख्या-20 /2019/291(1)/59-2-2019-9(खा)/2017 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई-फलोर छठा तल, योजना भवन, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 20/2019/291/59-2-2019-9(खा)/2017, दिनांक 05 अप्रैल, 2019 का संलग्नक

लेखाशीर्षक

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

105- खादी ग्रामोद्योग

03- खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता

31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) (धनराशि लाख रू0 में)

कोड	**मद का नाम**	**मदवार फाट का विवरण**
01	वेतन	3837.70
03	मंहगाई भत्ता	625.80
06	अन्य भत्ता	2.00
55	मकान किराया भत्ता	202.40
56	नगर प्रतिकर भत्ता	22.50
	योग	**4690.40**

(रू0 छियालिस करोड़ नब्बे लाख चालीस हजार मात्र)

(सुरेश चन्द्र)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।